राजस्व वाद 167/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/387
सीताराम वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 167/2021

वादीगण–

1. सीताराम पुत्र मोहनराम
   जातियान–जाट, निवासी खाबड़ियाना, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मांगीलाल पुत्र गोरधनराम
2. रामचन्द्र पुत्र मोहनराम
3. मुकेश पुत्र बीरमाराम
4. सोहनी पत्नी बीरमाराम
5. चौथाराम पुत्र हीराराम
6. रतनाराम पुत्र हीराराम
7. लालूराम पुत्र हीराराम
   जातियान–जाट, निवासीगण खाबड़ियाना, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
8. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा खाबड़ियाना तहसील जायल में खेत खसरा नं. 304/550 रकबा 2.4929 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी के पिता व काका बीरमाराम के फौत होने से उनके विधिक उत्राधिकारी को आवश्यक वादी व प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर सम्वत् 2065 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से घ) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नंबर 304/550 रकबा 2.4929 में से रकबा 0.8310 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 मुकेश व सोहनी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नंबर 304/550 रकबा 2.4929 में से रकबा 0.8310 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के

21/6/2022
सहायक कलेक्टर

हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नंबर 304/550 रकबा 2.4929 में से रकबा 0.8309 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 चौथाराम, रतनाराम, लादुराम के हक बंट में दूसरी भूमि आने से इस खेत में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 29.09.2021 को राजीनामा जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने। प्रतिवादी संख्या 2 से 7 बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जानें के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 8 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह सीताराम पुत्र मोहनराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम खाबड़ियाना तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 347 प्रदर्श-1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 8 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शा अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 ने हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्व गैर हाजिर रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.09.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

राजस्व वाद 167/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/387
सीताराम वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.09.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा खाबड़ियाना के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य भूमि निहित होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य खसरा नं. 304/550 की भूमि का अनुसार बंट चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन विभाजन नहीं है अतः खसरा नंबर 304/550 की भूमि का बंटवाड़ा पूर्ण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 25.11.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 25.11.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 66 दिनांक 5.1.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी सीताराम, मांगीलाल, रामचन्द्र, सोहनी, चौथाराम, लालूराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान केशाराम व रामधनराम तथा भू.अभि.निरीक्षक सुरपालिया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा खाबड़ियाना के खेत खसरा नंबर 304/558, 304/550 की भूमि का पक्षकारान् के मध्य विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : **आदेश** : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खाबड़ियाना के खेत खसरा नंबर 304/558, 304/550 की भूमि का पक्षकारान् के मध्य विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

राजस्व वाद 167 / 2021
जीसीएमएस नंबर 2021 / 387
सीताराम वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह

1. वादी सीताराम के हक बट कब्जा काश्त मे मौजा खाबडियाना का खेत खसरा नंबर 304 / 550 रकबा 2.4929 में से रकबा 0.8310 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 मुकेश व सोहनी के हक बट कब्जा काश्त मे मौजा खाबडियाना का खेत खसरा नंबर 304 / 550 रकबा 2.4929 मे से रकबा 0.8310 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के हक बट कब्जा काश्त मे मौजा खाबडियाना का खेत खसरा नंबर 304 / 550 रकबा 2.4929 में से रकबा 0.8309 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 5 से 7 चौथाराम, रतनाराम, लादुराम के हक बट मे दूसरी भूमि आने से इस खेत में से कोई हक बट नही रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हो।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबध मे संबधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने के संबंध मे)
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 167 / 2021

वादीगण–

1. सीताराम पुत्र मोहनराम जाति–जाट, निवासी खाबड़ियाना, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मांगीलाल पुत्र गोरधनराम
2. रामचन्द्र पुत्र मोहनराम
3. मुकेश पुत्र बीरामाराम
4. सोहनी पत्नी बीरमाराम
5. चौथाराम पुत्र हीराराम
6. रतनाराम पुत्र हीराराम
7. लालूराम पुत्र हीराराम
   जातियान–जाट, निवासीगण खाबड़ियाना, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
8. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— : : डिक्री आदेश : : —

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा व प्रतिवादी संख्या 8 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –
यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खाबड़ियाना के खेत खसरा नंबर 304 / 558, 304 / 550 की भूमि का पक्षकारान् के मध्य विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नंबर 304 / 550 रकबा 2.4929 में से रकबा 0.8310 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

2. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 मुकेश व सोहनी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नंबर 304/550 रकबा 2.4929 में से रकबा 0.8310 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नंबर 304/550 रकबा 2.4929 में से रकबा 0.8309 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 5 से 7 चौथाराम, रतनाराम, लादुराम के हक बंट में दूसरी भूमि आने से इस खेत में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने के संबंध में)
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज — मुबलिग — बाबत —खर्चा इस मुकददमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 26/12/2021 05:29:47 PM

जिला :नागौर

तहसील : जायल

भू. अ. नि. क्षेत्र :सुरपालिया

पटवारी हल्का :सुरपालिया

ग्राम : खाबडियाना

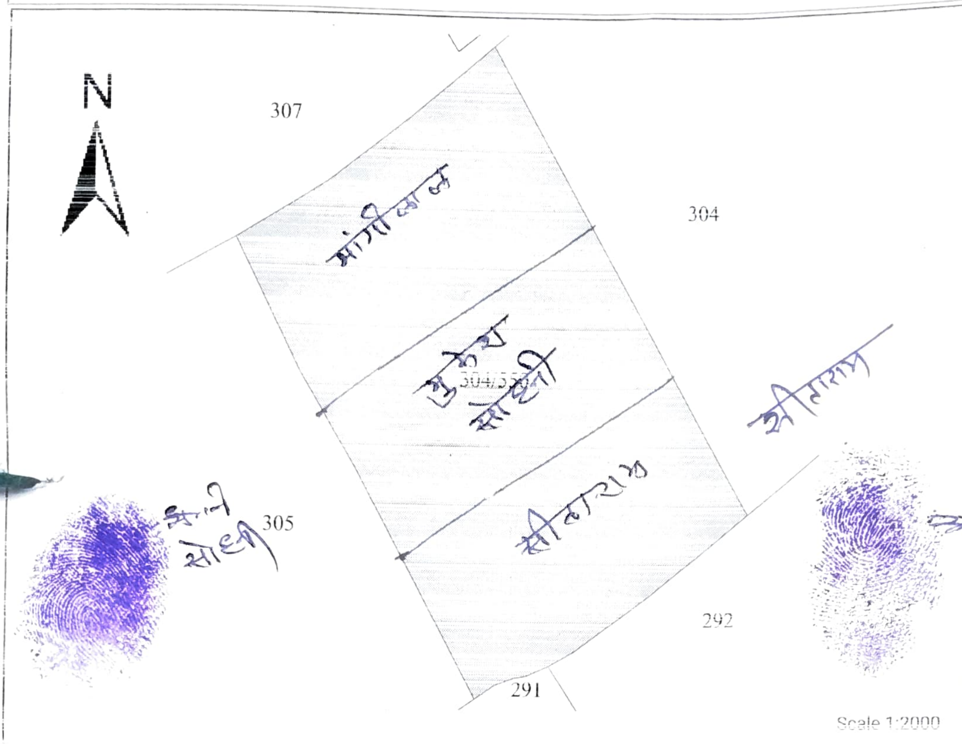

खसरा संख्या :304/550 क्षेत्रफल : 2.4929 Hectare खाता संख्या : 347पुराना खाता संख्या :314

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 1 [2.4929, 4.61]

4.) मोहन पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. देह खातेदार

5.) रतनाराम पुत्र हीराराम हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. देह खातेदार

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null